कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ.ग.)

फोन नं. (07819) 245622, फैक्स – 245622, ई–मेल – dfo-jchampa.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./5076 चांपा/दिनांक 31-08-2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़).

विषय : भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part Of Digital India)– II" के सफल क्रियान्वयन हेतु जांजगीर–चांपा जिला के जांजगीर–चांपा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अकलतरा, पामगढ़, डभरा एवं सक्ती ब्लॉक के अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर वनभूमि रकबा 1.570 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.115हे. कुल रकबा 1.685हे. पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भुमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ को उपयोग पर देने बाबत्।

पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/43320/2019

संदर्भ : अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ का पत्र कमांक/2012–21/123 रायपुर दिनांक 09.07.2020

–00–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्ताव तैयार कर डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिंदु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है :–

बिंदु क्रमांक 1 आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ..01..)

आवेदनकर्ता अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षेत्र अकलतरा, पामगढ़, डभरा एवं सक्ती ब्लॉक के अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर वनभूमि रकबा 1.570 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.115हे. कुल रकबा 1.685हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है।

बिंदु क्रमांक 2 प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड वर्ष पंजीयन क्रमांक (प्रस्ताव पृष्ठ..02..)

रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/43320/2019 आवंटित किए गए हैं। आनलाईन एकनॉलेजमेंट स्लिप की छाया प्रति संलग्न है।

[Type text]

Scanned with CamScanner

बिंदु क्रमांक 3 वन क्षेत्र विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ..........) 03 - 05

आवेदनकर्ता अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा परिक्षेत्र अकलतरा, पामगढ़, डभरा एवं सक्ती ब्लॉक के अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर वनभूमि रकबा 1.570 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.115हे. कुल रकबा 1.685हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्तावित है।

बिंदु क्रमांक 4 गैर वनक्षेत्र विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ.0.6.)

ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 51.410हे. है।

बिंदु क्रमांक 5 प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ......)

ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का टोपोषीट 1:50000 स्केल पर मानचित्र संलग्न है।

बिंदु क्रमांक 6 वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ............) 11 - 34

ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का 1:15000 स्केल पर इंडेक्श मैप संलग्न है।

बिंदु क्रमांक 7 प्रपत्र –4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ.............) 35-41

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part Of Digital India)– II" के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा जांजगीर–चांपा जिला के जांजगीर–चांपा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 1.570 हे. वनभूमि एवं 0.115 हे. राजस्व वनभूमि कुल वनभूमि रकबा 1.685 हे. वनभूमि प्रस्तावित है।

बिंदु क्रमांक 8 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ..............) 42 – 44

भारतनेट, जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता है एक दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता है, जिसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (CHiPS) द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

बिंदु क्रमांक 9 न्यूनतम वन क्षेत्र की उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ..45)

न्यूनतम वन क्षेत्र की उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।

[Type text]

Scanned with CamScanner

बिंदु क्रमांक 10 अधिनियम उल्लघंन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुध्द की गयी कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ..46....)

इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है एवं उनके विरुध्द किसी प्रकार के अधिनियंम उल्लघंन की गयी कार्यवाही प्रस्तावित नही है।

बिंदु क्रमांक 11 वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा (प्रस्ताव पृष्ठ.........) 47 – 58

भाग–1 :– भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस –।।" के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 1.570 हे. वनभूमि एवं 0.115 हे. राजस्व वनभूमि कुल वनभूमि रकबा 1.685 हे. वनभूमि प्रस्तावित है। वनभूमि की आवश्यकता है। उपरोक्त केबल रूट की 0.50 मीटर चौड़ाई पर 1.65 मीटर की गहराई पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना हैं।

भाग–2 :– जांजगीर–चांपा वनमंडल में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि निम्नानुसार है आरक्षित वन 0.343 हें., संरक्षित वन 0.519 हें., नारंगी क्षेत्र 0.708 हें., राजस्व वन 0.115 हें. कुल वनभूमि रकबा 1.685 हे. है। परियोजना की कुल लागत 141 करोड़ 17 लाख रूपये हैं। शासन के निर्देशानुसार वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग (ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु) अनुमति प्रदान की जा सकती है।

बिंदु क्रमांक 12 ऐतहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ.59..)

ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में ऐतिहासिक स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे है।

बिंदु क्रमांक 13 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ..........) 60 – 63

अकलतरा, पामगढ़, डभरा एवं सक्ती ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिंदु क्रमांक 14 जिले की कुल वन भूमि (प्रस्ताव पृष्ठ.64.)

जांजगीर–चांपा जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) वन भूमि रकबा 25006.600 हे. है।

बिंदु क्रमांक 15 व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि (प्रस्ताव पृष्ठ.65.)

व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 232.894 हे. है।

बिंदु क्रमांक 16 व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भुमि (प्रस्ताव पृष्ठ...66)

व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भुमि निरंक है।

बिंदु क्रमांक 17 प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ..67..)

Scanned with CamScanner

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर न तो प्रस्तावित है न ही स्थित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।

बिंदु क्रमांक 18 वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ती प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ.......) 68-69

आवेदित क्षेत्र के लिए कलेक्टर जांजगीर–चांपा द्वारा वन अधिकार सम्बन्धी प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.2019 जारी किया गया है। वन अधिकार सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिंदु क्रमांक 19 राजस्व वैन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ.........) 70 – 72

प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर जांजगीर–चांपा के पत्र दिनांक 26.12.2019 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है जो प्रस्ताव के पृ.क्र. ...... से...... में संलग्न है।

बिंदु क्रमांक 20 पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ.73.)

पंजीयन शुल्क तथा प्रस्संकरण (प्रोसेसिंग) शुल्क कुल राशि 24000 रूपये जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।

बिंदु क्रमांक 21 राष्ट्रीय उद्यान /वन्यप्राणी अमयारण्य के अंदर से जो ओं एफ सी गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा (प्रस्ताव पृष्ठ..74..)

प्रस्ताव के पेज क्रमांक .... में संलग्न है ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभयारण्य क्षेत्र नही है के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी का प्रमाण पत्र संलग्न है

प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के वेब साइट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के अनुशंसा हेतु प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :–
1. संदर्भित पत्र की छायाप्रति
2. पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क के चालान की छायाप्रति
3. टाईम लाईन

वनमंडलाधिकारी
जांजगीर–चांपा वनमंडल,चांपा

पृ.क्रमांक/5077
चांपा, दिनांक 31-8-2020

प्रतिलिपि :–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अं.) अरण्य भवन सेक्टर –19 नॉर्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) सिविल लाइन रायपुर छ.ग. रायपुर का उनके संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
जांजगीर–चांपा वनमंडल,चांपा

Scanned with CamScanner